/

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :
एम0के0 सिंह
सदस्य

(135)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3517–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–10–15 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी प्रकरण क्रमांक 03/अ–21/2015–16.

1– देवीदीन भूमियां पिता श्री नत्थूलाल भूमिया
निवासी जुहला,
तह0 व जिला कटनी म0प्र0

2– रातरानी पुत्री स्व0 नत्थूलाल भूमियां
निवासी बगैहहा, तह0 बरही
जिला कटनी म0प्र0

3– जगौतिया पत्नि स्व0 नत्थूलाल भूमिया
निवासी जुहला तह0 व
जिला कटनी म0प्र0

4– श्रीमती रत्तोबाई पुत्री फत्तु भूमिया
निवासी पिपरहटा तह0 व
जिला कटनी म0प्र0

5– मारू भूमिया पिता श्री स्व0 फत्तु भूमिया
निवासी रजरवारा तह0 वि गढ,
जिला कटनी म0प्र0,

6– बल्लू भूमिया पिता स्व0 फत्तु भूमिया
निवासी जुहला, तह0 व
जिला कटनी म0प्र0

7– सोमवती बाई भूमिया पुत्री स्व0 फत्तु भूमिया
निवासी जुहला, तह0 व
जिला कटनी म0प्र0

द्वारा मु0 आम –
श्रीमती मुन्नी बाई पत्नि श्री फत्तु भूमिया
निवासी जुहला, तह0 व जिला कटनी म0प्र0

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ----- अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक, श्री आदित्य शर्मा)

आदेश

(आज दिनांक 20– 4– 2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, कटनी के प्रकरण कमांक 03/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05–10–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारॉंश संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने स्वामित्व की शामलाती भूमि स्थित ग्राम जोहला नं0 बं0 202, प0ह0नं0 41/44 रा0नि0मं0 मुडवारा–1, विकास खंड कटनी तह0 व जिला कटनी खसरानं0 9/2, 456, 460 रकबा कमशः 1.740, 0.32 एवं 0.081हैक्टर कुल रकबा 1.853 हैक्टर के विकय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ने उक्त आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । तहसीलदार ने जांच कर एवं उभयपक्षों के कथन लेकर अपना प्रतिवेदन भूमि विकय की अनुमति की अनुशंसा के साथ अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने

कुछ बिंदुओं पर पुनः जांच कर प्रतिवेदन हेतु प्रकरण तहसीलदार को भेजा । तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर अपना प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी को भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय का आवेदन निरस्त किया । जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क श्रवण किये गये । उनके द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम जोहला नं0 बं0 202, प0ह0नं0 41/44 रा0नि0मं0 मुडवारा–1, विकास खंड कटनी तह0 व जिला कटनी खसरा नं0 9/2, 456, एवं 460 रकबा क्रमशः 1.740, 0.32 एवं 0.081 हैक्टर कुल रकबा 1.853 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति सदस्य को विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा

का प्रतिवेदन दिनांक 18-11-14 को अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः कुछ बिंदुओं पर जांच हेतु प्रकरण दिनांक 24.11.14 को तहसीलदार को भेजा । जिसके पालन में तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुए अपना प्रतिवेदन दिनांक 30-7-15 को अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । उक्त प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी ने अपनी अनुशंसा सहित जिलाध्यक्ष को भेजा । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदकों के पास उक्त वर्णित भूमि विक्रय के पश्चात शेष भूमि नहीं बचती है अर्थात वे भूमिहीन हो जायेंगे । कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी कहा गया कि आवेदकों ने प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि से 10-15 एकड़ भूमि क्रय करने की बात कही गई है किंतु कहां की भूमि और किससे क्रय की जाना है इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं उक्त कारणों से उन्होंने आवेदकों का हित प्रभावित होना मानते हुए उनका भूमि विक्रय का आवेदन खारिज किया गया है । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष अपने स्थान और उचित और विधिसम्मत है । परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रकरण के तथ्यों को न्यायिक दृष्टि से नहीं देखा है क्योंकि आवेदकगण के पास प्रश्नाधीन भूमि के अलावा अन्य और कोई भूमि नहीं है जो प्रश्नाधीन भूमि है वह 2 हैक्टर से कम है जिसके 7 सहखातेदार हैं और यदि प्रत्येक का हिस्सा देख जाये तो 1 एकड़ से भी कम भूमि एक व्यक्ति के हिस्से में आती है । अर्थात आवेदकगण के पास पहले से ही संहिता में दिए गए प्रावधानों से बहुत कम भूमि है ऐसी स्थिति में संहिता में बताए अनुसार उनके पास भूमि बचना संभव ही नहीं है । कलेक्टर द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि जब तक उन्हें विक्रय की अनुमति नहीं दी जाती है तब तक वे कैसे भूमि क्रय

करेंगे । यदि जिलाध्यक्ष को आवेदकों द्वारा भूमि कय किये जाने के संबंध में कोई शंका थी तो वे कय-विकय किए जाने की शर्त अपने आदेश में डाल सकते थे किंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदकगण का भूमि विकय हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त करना न्यायोचित नहीं है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर, कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-10-15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । परिणामतः निरस्त किया जाता है एवं आवेदकगण को उनके भूमि स्वामित्व की ग्राम जोहला नं0 बं0 202, प0ह0नं0 41/44 रा0नि0मं0 मुडवारा-1, विकास खंड कटनी तह0 व जिला कटनी खसरा नं0 9/2, 456, एवं 460 रकबा कमशः 1.740, 0.32 एवं 0.081 हैक्टर कुल रकबा 1.853 हैक्टर के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है ।

1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3- भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर